इलाहाबाद मेट्रो रेल के डीपीआर बनाने की तैय

- शहर में ९० किमी० का मैट्रो रेल डीपीआर बनाने का प्रस्ताव
- नौ करोड़ की लागत आने का अनुमान

मेट्रो रेल के डीपीआर को लेकर बैठक करते अधिकारी।

विशेष संवाददाता

इलाहाबाद ०३ सितम्बर। कमिश्नर राजन शुक्ला की अध्यक्षता में मैट्रो रेल के सम्बन्ध में कैम्प कार्यालय में आयोजित की गयी जिसमें बताया गया कि रेपिड मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के तहत रूट नं०-१ मनौरी टर्मिनल से त्रिवेणीपुरम, चक हरिहरवन टर्मिनल तक ३०.२० किमी०, रूट नं०-२ इलाहाबाद बाईपास टर्मिनल जलालपुर से करछना कोहारा कासिंग टर्मिनल तक ४०.२० किमी, रूट नं०-३ सुबेदारगंज टर्मिनल से खुल्दाबाद कीटगंज टर्मिनल तक ७.७०किमी० तथा रूट नं०-४ अरैल टर्मिनल से सी०ओ०डी० रोड कासिंग इरादतगंज तक १०.७० किमी० शहर में लगभग ९० किमी० का मैट्रो रेल डी०पी०आर० बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसमें ०९ करोड़ की लागत आने का अनुमान है। कमिश्नर ने मैट्रो रेल के लिये बनाये गये रूटों का मैप का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि एल.एम.आर.सी के साथ बैठक करके और भी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने मैट्रो रेल के लिये टैग लाइन एवं लोगो डिजाइन की प्रतियोगिता कराये जाने को कहा।कमिश्नर ने बालसन चौराहा, लोकसेवा आयोग चौराहा के सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यी हेतु तथा त्रिवेणी पुष्प साफ-सफाई, रंगाई सुव्यवस्थित कर उसे के रूप में स्थापित एडीए को निर्देशित डी०एम० संजय कुमार

यूनाइटेड भारत 4/9/016

इंदिरा भवन में लगी आग, मचा हड़कंप

इलाहाबाद। इंदिरा भवन में शनिवार भोर अचानक आग लग गई। इससे कुर्सी औश्र मेज के अलावा कुछ फाइलें जलकर राख हो गईं। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी पहुंच गए। पर, तब तक कर्मचारियों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया था।

इंदिरा भवन के एक दफ्तर में शनिवार भोर में अचानक आग लग गई। इस दौरान लगी आग से एक अफसर का चैम्बर जलकर राख हो गया। आग से कुर्सी मेज, कुछ फाइलें व कंम्यूटर भी जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही फौरन दमकल भी पहुंचे पर उससे पूर्व दफ्तर के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग एसी में शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। हालांकि इस संबंध में दफ्तर के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हिन्दुस्तान 4/9/016

आसान नहीं अवैध निर्माण की सील खुलवाना

इलाहाबाद (ब्यूरो)। अब शहर में अवैध निर्माण का नियमितिकरण तभी होगा, जब शमन मानचित्र दाखिल होने के बाद परीक्षण में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसका शमन किया जा सकता है। अवैध निर्माण की सील तभी खुलेगी। परीक्षण में भवन के नियमितीकरण की संभावना न होने पर, उसे ध्वस्त कराया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च भी निर्माणकर्ता से वसूला जाएगा। उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर पहली सितंबर से व्यवस्था बदल दी। अफसरों को इसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। अभी तक एडीए द्वारा अवैध या फिर स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहे निर्माण को सील करने के बाद निर्माणकर्ता की ओर से शमन मानचित्र दाखिल किया जाता है। इसके साथ ही शमन शुल्क के रूप में कुछ रकम भी एडवांस में जमा करा ली जाती है और सील खोलने की अनुमति दे दी जाती है। इसके बाद फिर निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कई बार दाखिल नक्शे के नियमितीकरण में समस्या आने पर मामला अटक जाता है। क्योंकि निर्माणकर्ता ने एडवांस शुल्क जमा किया है तो वह इसके आधार पर न्यायालय की शरण में चला जाता है, जिससे एडीए के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले हो चुके हैं, जिनमें निर्माणकर्ता ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी, जिसके लिए एडीए को न्यायालय में जवाब देना पड़ रहा है।

अमर उजाला

इंदिरा भवन में लगी आग

इलाहाबाद, ०३ सितम्बर। शनिवार को सिविल लाइंस इंदिरा भवन की पांचवी मजिंल स्थित इण्डियन ऑयल के आफिस में आग लगने से हड़कम्प मच गया। अपरान्ह बाद शार्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पाने में आफिस कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग किया। इसके चलते थोड़ी ही देर में आग को बुझा दिया गया।

यूनाइटेड 4/9/016